न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

तारीख रजु 16.06.2016

मुकदमा नंबर विविध / 34 / 2016

उनवान

1. नेमीचंद पुत्र बुद्धि जाति जाटव निवासी पौछडी तहसील हिण्डौन जिला करौली।

———वादी(01)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर करौली।
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।
3. रमन पुत्र बुद्धि जाति जाटव बगै0 निवासी पौछडी तहसील हिण्डौन सिटी।

———प्रतिवादी(13)

उपस्थितिः—

वादी की ओर से :— श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :— शैलेन्द्र जैन एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 17.03.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती स्थित ग्राम पौछडी तहसील हिण्डोन के खसरा न. 791, 789, 790, 816, 817 / 1150, 820, 668, 669, 800, 814 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्मान वादी वकील कई बार तलवान पेश करने के अवसर दिये गये पत्रावली दिनांक 17.03.2020 को तलवी की स्टेज पर पेश हुई । बार—बार आवाज दिलाई गई । पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावे में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 34 / 2016 नेमी बनाम सरकार अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.08.06 18:39:03 IST
Reason: SelfAttested